



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : एफ-9/सा.प्र./स्टोर/2022/

दिनांक:

कार्यालय-आदेश

कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 17.08.2022 की अनुपालना में, इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व कार्यालय आदेश क्रमांक : एफ-9/सा.प्र./स्टोर/2021/2037 दिनांक: 06.09.2021 के अनुसार मैसर्स, लक्ष्मी कम्प्यूटर सेन्टर, 57 पटेल कॉलोनी, एस.पी. मार्ग, जयपुर को राजस्थान विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों/शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए निर्मित किये जाने वाले पहचानपत्र (कार्ड) पूर्व अनुबंध की शर्तों एवं अनुमोदित दर 17.70 (समस्त कर सहित) के आधार पर बनवाये जाने हेतु संबंधित फर्म की अवधि आगामी तीन माह अथवा निविदा प्रक्रिया के निष्पादन तक जो भी पूर्व में हो, बढ़ायी जाती है।



कुलसचिव

क्रमांक : एफ-9/सा.प्र./स्टोर/2022/ 8842-8891

दिनांक: 20-09-2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त प्राचार्य, अधिष्ठाता/निदेशक/समन्वयक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/शैक्षणिक केन्द्रों को प्रेषित कर लेख है कि आवश्यकतानुसार नियमित विद्यार्थियों के पहचानपत्र उपरोक्त फर्म मैसर्स, लक्ष्मी कम्प्यूटर सेन्टर, 57 पटेल कॉलोनी, एस.पी. मार्ग, जयपुर से बनवाने का श्रम करावें।
2. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, रा.वि.वि., जयपुर।
3. मुख्य कुलानुशासक रा.वि.वि., जयपुर।
4. मैसर्स, लक्ष्मी कम्प्यूटर सेन्टर, 57 पटेल कॉलोनी, एस.पी. मार्ग, जयपुर।
5. उप कुलसचिव, लेखा एवं वित्त को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित फर्म से प्राप्त बिलों का भुगतान केन्द्रीय कार्यालय कन्टीजेन्सी मद, 2022-2023 से करने का श्रम करावें।
6. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।


उप कुलसचिव (सा.प्र.)